झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0	"राज्य अन्तर्गत साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र सहित अन्य जिलों में निषाद वंशीय समाज के उपजाति चॉय, केवट मल्लाह, विन्द गोढ़ी और ननोशुद्र गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है जो आज भी मुख्यतः कृषि एवं मत्स्य पालन पर निर्भर है तथा वर्त्तमान में अत्यन्त पिछड़ी जाति वर्ग में आते हैं। इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची द्वारा अपने पत्रांक-1380, दिनांक- 05.11.2019 के माध्यम से शोध प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है। शोध प्रतिवेदन में उक्त जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु यह माना है कि इनके समाज को उचित अवसर और उत्थान हेतु सामाजिक न्याय के तहत् अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते है कि निषाद वंशीय समाज के उपजाति चॉय, केवट, मल्लाह, विन्द गोढ़ी और ननोशुद्र को "अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने हेतु अविलम्ब केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जाय।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	राज्य में झारखण्ड औद्योगिक नीति- 2012 बनी है। इसके बाद और कई नीतियों का निर्धारण यथा- **झारखण्ड इन्डस्ट्रीयल पार्क पॉलिसी- 2015, झारखण्ड इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्भेस्टमेंट प्रोमोशन पॉलिसी- 2016** भी बनाया गया लेकिन सारी नीतियों में बड़े उद्योगों के बारे में अधिक विचार किया गया, उनकी सुविधाओं एवं सहयोग करने पर, एवं पुनर्जीवित करने पर अधिक जोर दिया गया। लेकिन एक बड़ा क्षेत्र लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग (MSME) से सारे उद्योग कैसे जिन्दा रहे, इन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जाय, लघु एवं कुटीर उद्योग का उत्पाद, बड़े उद्योग के सामने बाजार में कैसे ठहर पाये, इसके बारे में अबतक गहन विचार कर अलग नीति नहीं बना पाई है। **संथाल परगना** एवं **हजारीबाग प्रमण्डल** में खासकर लकड़ी के काम करने वाले **कर्मकार**, लोहा के काम करने वाले **लोहार (कमार)**, मिट्टीके काम करने वाले **कुम्हार**, तेल बनाने वाले, चावल, दाल आटा, मशाला एवं पत्तल इत्यादि निर्माण में लगे हुए लोगों को यानि इन कुटीर उद्योगों में कार्यरत लोगों को प्रोत्साहित करने की अबतक कोई ऐस नीति नहीं बन पाई है, जिस कारण इसपर भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों का ही कब्जा हो रहा है और छोटे उद्योग के लोग बेरोजगार हो रहे है। इस पर सरकार नीति निर्माण करे। उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	उद्योग
03-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री निरल पुरती स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में वर्ष 2015, 2016 एवं 2019 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के समय काउसिलिंग एक ही तिथि में कराने के बजाय अलग-अलग तिथियों में कराने के कारण लगभग (05) पाँच हजार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाऐं गृह जिला से 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिनियुक्त हो गये है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		अतः 2015, 2016 एवं 2019 में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं को वरीयता सहित सामुहिक रूप से गृह जिला में स्थानान्तरण करने के लिए सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते है।	
04-	श्री बैद्यनाथ राम स०वि०स०	लातेहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड बालूमाथ मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एच०सी०) का निर्माण कार्य लगभग 15 वर्षो से लंबित है। इस बीच उस निर्माण में दो-दो संवेदक बदलने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है जिससे हजारों ग्रामीण मरीजों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है। पूर्व के सत्र में विभागीय मंत्री के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन एवं साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गयी थी, किन्तु अभी तक न तो कार्य प्रारम्भ हुआ और ना ही कोई कार्रवाई की गयी। अतएव उपर्युक्त निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय साथ ही दोषी संवेदकों को काली सूची में डालते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
05-	डॉ० नीरा यादव स०वि०स० श्री इन्द्रजीत महतो स०वि०स०	"कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत महत्वाकांक्षी परियोजना 'पंचखेरो' और 'केशो जलाशय' वर्ष 1984 में एकीकृत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के किसानों को पटवन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से शिलान्यास किया गया था। वस्तु स्थिति यह है कि पंचखेरो जलाशय का निर्माण 07 वर्ष पूर्व हो चुका है, परन्तु किसानों को पटवन/सिंचाई की सुविधा पूर्णरूपेण नहीं मिल पायी है जबकि केशो जलाशय योजना का कार्य अभी भी अधूरा है। इस अधूरे केशो जलाशय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण होने के बावजूद कई संवेदक आए और कार्य पूर्ण किये बिना अधूरा छोड़ कर चले गये। केशो जलाशय के निर्माण होने से कोडरमा	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		जिलान्तर्गत होमचाँच, मरकच्चो एवं जयनगर प्रखण्ड के हजारों एकड़ जमीन में पटवन/सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। केशो जलाशय डैम के निर्माण हेतु 500 से अधिक किसान परिवार विस्थापित हो चुक है जिनका पुनर्विस्थापन और उचित मुआवजा नहीं मिलना भी एक प्रमुख समस्या है जिसका निराकरण किया जाना कृषक हित में अत्यावश्यक है। 37 वर्ष पूर्व केशो जलाशय के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 7 करोड़ रू0 था जो वर्ष 2011 में 66 करोड़ की हो गयी तत्पश्चात् वर्त्तमान में इसकी प्राक्कलित राशि 119 करोड़ रू0 की हो गयी है, लेकिन अभी तक जलाशय का निर्माण नहीं हो पाया है।" अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है कि केशो जलाशय योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय जिससे उक्त क्षेत्र के किसानों को पटवन/सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।	

राँची,
दिनांक- 04 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-886/वि0 स0, राँची, दिनांक- 03/3/2021।

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ जल संसाधन विभाग एवं उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-886/वि0 स0, राँची, दिनांक- 03/3/2021।

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

03/03/2021